रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम0/13-14/94.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 19 नवम्बर, 1994/28 कार्तिक, 1916

हिमाचल प्रदेश सरकार

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 14 नवम्बर, 1994

संख्या पी0 बी0 डब्ल्यू0 (बी) 15-14/83-I.—हिमाचल प्रदेश सरकार की यह राय है कि, शहरी और चयनित ग्रामीण व्यवस्थापनों (सटलमैंट्स) के विकास के लिये बहुकेन्द्रीय योजना (स्ट्रैटजी) को प्राप्त करने हेतु हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन सृजित विद्यमान प्राधिकरणों को एकीकृत करके शहरी विकास और चयनित ग्रामीण व्यवस्थापनों के विकास के लिए भी एकीकृत विकास प्राधिकरण का स्थापन करना चाहिए।

अतः राज्य सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्या पी0 डब्ल्यू0 (बी)-15 (14)83/, तारीख 14-12-1983 द्वारा, हिमाचल प्रदेश नगर एवम् ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 40 और 42 (क) के अधीन स्थापित/गठित शिमला विकास प्राधिकरण का बना रहना अनावश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा-78 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त प्राधिकरण को तुरन्त प्रभाव से विघटित करते हैं।

शिमला-171002, 14 नवम्बर, 1994

संख्या पी० बी० डब्ल्यू० (बी)-15-14/83-I--हिमाचल प्रदेश सरकार की यह राय है कि, शहरी और चयनित ग्रामीण व्यवस्थापनों (सैटलमैंटस) के विकास के लिये बहुकेन्द्रीय योजना (स्ट्रैटजी) को प्राप्त करने हेतु हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन सृजित विद्यमान प्राधिकरणों को एकीकृत करके शहरी विकास और चयनित ग्रामीण व्यवस्थापनों (सैटलमैंटस) के विकास के लिए भी एकीकृत विकास प्राधिकरण का स्थापन करना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश सरकार की यह राय है कि, इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट योजना क्षेत्रों के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 40 (1) के अधीन स्थापित/ पदाभिहित हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड का नगर एवं विकास प्राधिकरण के रूप में बना रहना अनावश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 78(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त प्राधिकरणों (इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में वर्णित) को तुरन्त प्रभाव से विघटित करते हैं।

अधिसूचना संख्या: पी० बी० डब्ल्यू (बी) 15-14/83-I दिनांक 14-11-1994 का परिशिष्ट

योजना क्षेत्र का नाम	अधिसूचना संख्या व तिथि जिसके अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड को नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकरण के रूप में नमोर्दिष्ट (डैजीगनैट) किया गया था
1	2
1. मण्डी योजना क्षेत्र	संख्या: पी० बी० डब्ल्यू (बी० एण्ड आर०) (बी) 4(10) 4/84, दिनांक 29-7-1985.
2. हमीरपुर योजना क्षेत्र	संख्या: पी० बी० डब्ल्यू (बी० एण्ड आर०) 28 (15)/85, दिनांक 13-03-1986.
3. धर्मशाला योजना क्षेत्र	संख्या: पी० बी० डब्ल्यू (बी० एण्ड आर०) (बी) 4 (11)-5/84, दिनांक 21-05-1986.
4. परवाणू योजना क्षेत्र	संख्या: पी० बी० डब्ल्यू (बी० एण्ड आर०) (बी), 15 (1) 3/81, दिनांक 14-8-1986.
5. बरोटीवाला योजना क्षेत्र	संख्या: पी० बी० डब्ल्यू (बी० एण्ड आर०) (बी) 15 (1) 3/81, दिनांक 14-8-1986.

शिमला-171002, 14 नवम्बर, 1994

संख्या पी०बी०डब्ल्यू० (बी०) 15-14/83-I.—हिमाचल प्रदेश सरकार की यह राय है कि, शहरी और चयनित ग्रामीण व्यवस्थापनों (सैटलमैंटस) के विकास के लिये बहुकेन्द्रीय योजना (स्ट्रैटजी) को प्राप्त करने हेतु हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन सृजित विद्यमान प्राधिकरणों को एकीकृत करके शहरी विकास और चयनित ग्रामीण व्यवस्थापनों (सटलमैंटस) के विकास के लिए भी एकीकृत विकास प्राधिकरण का स्थापन करना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश सरकार की यह राय है कि, अधिसूचना संख्या लोक निर्माण (ख) 28-26/85 तारीख 25-11-1991 द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 66 और 67 के अधीन कुल्लू घाटी विशेष क्षेत्र के लिये स्थापित और गठित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का बना रहना अनावश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 78 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त प्राधिकरण को तुरन्त प्रभाव से विघटित करते हैं।

शिमला-171002, 14 नवम्बर, 1994

संख्या पी0 बी0 डब्ल्यू0 (बी) 15-14/83-I.—हिमाचल प्रदेश सरकार की यह राय है कि, शहरी और चयनित ग्रामीण व्यवस्थापनों (सैटलमैंटस) के विकास के लिये बहुकेन्द्रीय योजना (स्ट्रैटजी) को प्राप्त करने हेतु हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन सृजित विद्यमान प्राधिकरणों को एकीकृत करके शहरी विकास और चयनित ग्रामीण व्यवस्थापनों (सैटलमैंटस) के विकास के लिए भी एकीकृत विकास प्राधिकरण का स्थापना करना चाहिए।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट योजना क्षेत्रों/विशेष क्षेत्रों के लिए हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण के नाम से ज्ञात प्राधिकरण की स्थापना करते हैं।

हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण का मुख्यालय शिमला में होगा।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आदेश देते हैं कि अधिसूचना संख्या पी0 बी0 डब्ल्यू0 (बी) 15-14/83-I तारीख 14-11-1994 द्वारा विघटन किए गए शिमला विकास प्राधिकरण, कुल्लू घाटी विशेष क्षेत्र के लिए विशेष क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, हमीरपुर, धर्मशाला, मण्डी, परवाणू और बरोटीवाला योजना क्षेत्रों के लिये नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकरण की समस्त आस्तियां और उत्तरदायित्व हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण में तुरन्त प्रभाव से अंतरित होंगे।

अधिनियम संख्या पी0 बी0 डब्ल्यू0 (बी) 15-14/83-I, दिनांक 14-11-1994 का परिशिष्ट

योजना क्षेत्र का नाम :

1. बरोटीवाला
2. चम्बा
3. धर्मशाला
4. डलहौजी
5. हमीरपुर
6. महतपुर
7. मण्डी
8. नालागढ़
9. पालमपुर
10. नाहन
11. पांवटा साहिब
12. परवाणु

13. रामपुर बुशैहर
14. रोहड़ू
15. सराहन (सिरमौर)
16. शिमला
17. ठियोग
18. ऊना
19. कसौली

विशेष योजना क्षेत्र का नाम :

1. कुल्लू घाटी विशेष क्षेत्र
2. हाटकोटी विशेष क्षेत्र
3. पण्डोह झील
4. चमरा जलाशय
5. पौंग डैम

शिमला-171002, 14 नवम्बर, 1994

संख्या पी० बी० डब्ल्यू० (बी) 15-14/83-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुय हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण का निम्नलिखित रूप से तुरन्त प्रभाव से गठन करने का आदेश देते हैं :—

1. मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश	.. अध्यक्ष
2. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार	.. सदस्य
3. सचिव (टी० सी० पी०) हिमाचल प्रदेश सरकार	.. सदस्य
4. सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार	.. सदस्य
5. मुख्य प्रशासक, हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण	.. सदस्य
6. मेयर, नगर निगम, शिमला	.. सदस्य

आदेश द्वारा

पी० एस० नेगी,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

[*Authoritative English text of this Department notification No. PBW(B) 15-14/83-I, dated 14-11-1994 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-171002, *the 14th November*, 1994

No. PBW (B)15-14/83-I.—Whereas the State Government of Himachal Pradesh is of the opinion that a unified development authority for urban development and also for the development of selected rural settlements should be established by integrating the existing authorities

created under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 to achieve multi-centred strategy to develop urban and selected rural settlement.

Whereas the State Government is of the opinion that it is un-necessary to continue with the Shimla Development Authority established/constituted under section 40 and 42(A) of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 *vide* Notification No.PW (B) -15(14)/ 83, dated 14-12-1983.

Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under section 78 (*i*) of the Town and Country Planning Act, 1977 is pleased to dissolve the aforesaid authority with immediate effect.

[*Authoritative English text of this Government notification No. PBW(B)* 15-14/83-I, *dated* 14-11-1994 *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*].

Shimla-2, the 14th November, 1994

No. PBW(B)15-14/83-I.—Whereas the State Government of Himachal Pradesh is of the opinion that a unified development authority for urban development and also for the development of selected rural settlements should be established by integrating the existing authorities created under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, to achieve multi-centred strategy to develop urban and selected rural settlements.

Whereas State Government of Himachal Pradesh is of the opinion that it is un-necessary to continue with Himachal Pradesh Housing Board as Town and Country Development Authority established/designated under section 40(*i*) of the Town and Country Planning Act, 1977, for the planning areas as specified in the schedule attached with this notification.

Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him u/s 78 (*i*) of the Town and Country Planning Act, 1977, is pleased to dissolve the aforesaid authorities (mentioned in the schedule attached with this notification) with immediate effect.

Schedule attached to the Notification No. PBW (B) 15-14/83-I, dated 14-11-1994.

	Name of Planning Area	No. and date of notification *vide* which Himachal Pradesh Housing Board was designated as Town and Country Development Authority
1.	Mandi Planning Area	No. PBW (B&R) (B) 4(10)4/84, dated 29-7-1985.
2.	Hamirpur Planning Area	No. PBW (B&R) 28(15)/85, dated 13-03-1986.
3.	Dharamshala Planning Area	No. PBW (B&R) (B) 4(11)-5/84, dated 21-05-1986.
4.	Parwanoo Planning Area	No. PBW(B&R) (B) 15(1)3/81, dated 14-08-1986
5.	Barotiwala Planning Area	-do-

[*Authoritative English text of this Department notification No. PBW (B)* 15-14/83-I, *dated* 14-11-1994, *required under Clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Shimla-2, the 14th November, 1994

No. PBW(B)15-14/83-I.—Whereas the State Government of Himachal Pradesh is of the opinion that a unified development authority for urban development and also for the development

of selected rural settlements should be established by integrating the existing authorities created under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, to achieve multi-centred strategy to develop urban and selected rural settlements;

Whereas the State Government is of the opinion that it is un-necessary to continue with the Special Area Development Authority for the Kullu Valley Special Area established/constituted under sections 66 and 67 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 *vide* notification No. Lok Nirman (kha) 28-26/85, dated 25-11-1991.

Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under section 76 (1) of the Town and Country Planning Act, 1977 is pleased to dissolve the aforesaid authority with immediate effect.

[*Authoritative English text of this Government notification No. PBW (B)* 15-14/83-I, *dated* 14-11-1994 *required under Article* 348 (3)*of the Constitution of India*].

*Shimla-*1, *the* 14*th November,* 1994

No. PBW (B) 15-14/83-I.—Whereas the State Government of Himachal Pradesh is of the opinion that a unified development authority for urban development and also for the development of selected rural settlements should be established by integrating the existing authorities created under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 to achieve multi-centred strategy to develop urban and selected rural settlements.

Now therefore, in exercise of the powers conferred upon him under section 40 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to establish an authority to be known as the Himachal Pradesh Nagar Vikas Pradhikaran with immediate effect for the planning areas/special areas as specified in the schedule annexed to this Notification.

The headquarter of the Himachal Pradesh Nagar Vikas Pradhikaran shall be at Shimla.

And further, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order that all the assets and liabilities of the Shimla Development Authority, Special Area Development Authority for Kullu Valley Special Area, the Town and Country Development Authority for planing areas *viz.* Hamirpur, Dharamshala, Mandi, Parwanoo and Barotiwala dissolved *vide* Notifications No. PBW (B)15-14/83-I dated 14-11-1994 shall stand transferred to the Himachal Pradesh Nagar Vikas Pradhikaran with immediate effect.

SCHEDULE

ANNEXURE TO NOTIFICATION NO. PBW(B)15-14/83-I, DATED 14-11-1994.

Name of the Planning Area:

1. Barotiwala.
2. Chamba.
3. Dalhousie.
4. Dharamshala.
5. Hamirpur.
6. Mehatpur.
7. Mandi.

8. Nalagarh.
9. Palampur.
10. Nahan.
11. Paonta Sahib.
12. Parwanoo.
13. Rampur Bushahar.
14. Rohroo.
15. Sarahan (Sirmaur).
16. Shimla.
17. Theog.
18. Una.
19. Kasauli.

Name of Special Planning Areas:

1. Kullu Valley Special Area.
2. Hatkoti Special Area.
3. Pandoh Lake.
4. Chamera Reservoir.
5. Pong Dam.

[*Authoritative English text of this Department Notification No. PBW(B)15-14/83-I, dated 14-11-1994 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

Shimla-1, the 14th November, 1994

No. PBW(B)15-14/83-I.—The Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him u/s 42 of the Town and Country Planning Act, 1977 is pleased to constitute the Himachal Pradesh Nagar Vikas Pradhikaran with immediate effect as follows:—

1.	Chief Minister of Himachal Pradesh	.. *Chairman*
2.	Chief Secretary to Government of Himachal Pradesh	.. *Member*
3.	Secretary (TCP) to Government of Himachal Pradesh	.. *Member*
4.	Secretary (Finance) to Government of Himachal Pradesh	.. *Member*
5.	Chief Administrator of Himachal Pradesh Nagar Vikas Pradhikaran	.. *Member*
6.	Mayor of Municipal Corporation, Shimla.	.. *Member*

By order,

P. S. NEGI,
Financial Commissioner-cum-Secretary.